संख्याः E 179000/ 64309- FCD-FFCG/15/2023

प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
डांडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः: दिनांकः 02 जनवरी, 2024

विषयः– **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों को आबद्ध अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं–F.15(4)FC-XV/FCD/2020-25, दिनांकः 21.12.2023 के क्रम में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की आबद्ध अनुदान **(Tied Grant)** की प्रथम किश्त कुल **₹133,30,70,000.00 (₹एक सौ तैंतीस करोड़ तीस लाख सत्तर हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2023–24 की आबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु प्राप्त **₹133,30,70** हजार धनराशि निम्न फॉट एवं संलग्न विवरणानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों को अंतरित की जायेगी :–

क्र. सं.	पंचायतीराज संस्था का नाम	आबद्ध अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रथम किश्त का विवरण (₹हजार में)
1–	जिला पंचायतें	200250
2–	क्षेत्र पंचायत	133500
3–	ग्राम पंचायतें	999320
योग		**1333070**

3– उपर्युक्त धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जा रही है :–

1– वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/xxvii(6)/430/ एक/2008/2019 दिनांकः 29 मार्च, 2019 द्वारा समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) लागू की गई है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार (1) जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक पंचायतीराज द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से बिल तैयार कर संलग्न विवरणानुसार सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। (2) ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा धनराशि संलग्न विवरणानुसार तत्काल सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी। तदोपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज व जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी। भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों में धनराशि निकायों को अन्तरित कर देनी चाहिए। यदि पंचायतों को धनराशि अन्तरित करने में विलम्ब होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, पंचायतीराज की होगी।

2– भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार निर्दिष्ट अनुदान का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण के लिए किया जायेगा। स्थानीय निकाय इन निर्दिष्ट अनुदानों को यथा संभव दो महत्वपूर्ण सेवाओं, प्रत्येक के लिए आधा–आधा निर्धारित करेंगे। तथापि यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से संतृप्त कर लिया है तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धनराशि का उपयोग कर सकता है।

3– शासनादेश संख्याः 381/06/(वि.आ.निदे.)/xxvii(1)/ 2020, दिनांकः 26.05.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं हेतु निर्धारित बैण्ड के अनुसार अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4– वित्त मंत्रालय के शासनादेश दिनांकः 21.12.2023 के अनुसार राज्य सरकार (राज्य वित्त विभाग) को ग्रान्ट इन एड की धनराशि सीधे त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को बिना किसी कटौती के 10 कार्य दिवसों के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर देनी चाहिए। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी विलम्ब के लिये राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बाजार ऋणों/राज्य विकास ऋण पर औसत प्रभावी ब्याज दरों के अनुसार विलम्ब की अवधि के लिए ब्याज सहित अनुदान की धनराशि का भुगतान निकायों को किया जायेगा।

5– 15वें वित्त आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संस्तुत अनुदान के उपयोग के संबंध में शासनादेश सं0–15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांकः 14.07.2021 एवं उसके कम में जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा दिये गए दिशा–निर्देशों, जिसकी प्रति कार्यालय के पत्र संख्याः कमशः 60/वि.आ.निदे.(15वाँ वि.आ.)/2020, दिनांकः 02.08. 2021 एवं 67/वि.आ.निदे.(15वाँ वि.आ.)/2020, दिनांकः 09.08.2021 द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई है, का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को निर्दिष्ट अनुदान हेतु अवमुक्त धनराशि के संबंध में निर्धारित एनेक्सर–III पर वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– 15वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग के संबंध में उक्त दिशा–निर्देशों को पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त दिशा–निर्देशानुसार प्राथमिक/अनिर्दिष्ट अनुदान (Untied Grant) तथा निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से यथा–आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

7– अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत किया जायेगा।

8– जिला पंचायतों के मामले में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा, जिला पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र, अध्यक्ष, जिला पंचायत से तथा क्षेत्र पंचायतों के मामले में जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा प्रमुख, क्षेत्र पंचायत से प्रतिहस्ताक्षर कराकर निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे। ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का अपने स्तर पर संकलन एवं परीक्षण कराने के उपरान्त उनको प्रतिहस्ताक्षर कर सभी स्तर के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड /सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्यो का क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतवार भौतिक प्रगति तथा व्यय की गई धनराशि) भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

2

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 02/01/2024 05:04 PM

9– उपरोक्तानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व संबंधित अपर मुख्य अधिकारी व जिला पंचायतीराज अधिकारी का होगा। संक्रमित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांकः 31 मार्च, 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण धनराशि लैप्स होती है, तो उसके लिये निदेशक पंचायतीराज एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतीराज अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। अवमुक्त धनराशि के समुचित उपयोग के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, पंचायतीराज तथा जिला स्तर पर विभागीय अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतीराज अधिकारी /मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

10– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

11– कतिपय ग्राम पंचायतें असंगठित होने के कारण भारत सरकार द्वारा इन ग्राम पंचायतों के लिए धनराशि आवंटित नहीं की गई है। फलस्वरूप इन असंगठित ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

12– निदेशक, पंचायतीराज से प्राप्त पत्र संख्याः 193/3–पं./ग्रा.पं./173/2020–21, दिनांकः 28 मई, 2020 के अनुसार उत्तराखण्ड में परिसीमन/ग्राम पंचायतों के शहरी स्थानीय निकायों में संविलियन तथा कतिपय शहरी स्थानीय निकायों में सम्मलित ग्राम पंचायतों का पुनः ग्राम पंचायतों के रूप में परिवर्तित होने के उपरान्त वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की स्थिति में अन्तर आया है। इस बदले हुए जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार ही धनराशि संक्रमित की जा रही है, जिसके कारण जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अंश एवं संक्रमित की जा रही धनराशि में आंशिक वृद्धि अथवा कमी सम्भव है।

13– जिला पंचायतवार, क्षेत्र पंचायतवार एवं ग्राम पंचायतवार फांट, अलोटमेन्ट आई.डी एवं अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र का प्रारूप–III संलग्न है। ई–मेल से भी शासनादेश उपलब्ध कराया जा रहा है। निकायों को धनराशि हस्तान्तरित करते ही, प्रारूप–III पर सूचना, प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज के हस्ताक्षर कराकर वित्त विभाग को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

14– यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई नगर पंचायत/नगर पालिका का गठन हो गया हो अथवा किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में सम्मिलित ग्राम पंचायतों को पुनः ग्राम पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत अथवा अन्य नगर निकायों को (जैसी भी स्थिति हो) अवमुक्त धनराशि का हस्तान्तरण शासन के पत्र सं0–822/XXVII(1)/2014, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/XXVII (1)/ 2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित निकाय को किया जायेगा, जिसकी सूचना सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

15– 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर **"15वॉ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य"**, निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत इंगित की जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में किये गये बजट प्रावधान की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा :–

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 02/01/2024 05:04 PM

I/179000/2024

(धनराशि हजार में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	आवंटित की जा रही धनराशि
1–	3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 08–जिला पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0), 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।	200250
2–	3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 10–क्षेत्र पंचायत हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0), 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।	133500
3–	3604– स्थानीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 12–ग्राम पंचायत हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0), 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।	999320
	योग	**1333070**

(₹एक सौ तैंतीस करोड़ तीस लाख सत्तर हजार मात्र)

संलग्नकः– *यथोपरि।*

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar
Date: 01-01-2024 19:02:57

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः E / 64309- FCD-FFCG/15/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
4- निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, ब्लाक 11,पंचम तल सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
5- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6- निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी–उत्तराखण्ड।
9- समस्त अपर मुख्य अधिकारी/जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
11- निजी सचिव, मा० पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड।
12- एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 02/01/2024 05:04 PM

I/179003/2024

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अन्तरित धनराशि का विवरण।

(धनराशि हजार ₹)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*
1	अल्मोड़ा	16423
2	बागेश्वर	9770
3	चमोली	16218
4	चम्पावत	7073
5	देहरादून	16271
6	हरिद्वार	30245
7	नैनीताल	10995
8	पौड़ी गढ़वाल	18054
9	पिथौरागढ़	14664
10	रूद्रप्रयाग	8206
11	टिहरी गढ़वाल	16892
12	उधमसिंह नगर	24832
13	उत्तरकाशी	10607
	योग	**200250**

(₹बीस करोड़ दो लाख पचास हजार मात्र)

Signed by C Ravi Shankar
Date: 01-01-2024 19:09:19

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

I/179004/2024

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अन्तरित धनराशि का विवरण।

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	2	3	4
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	1260
	2	ताकुला	1114
	3	धौलादेवी	1542
	4	भैंसियाछाना	849
	5	हवलबाग	1520
	6	लमगड़ा	1354
	7	द्वाराहाट	1447
	8	सल्ट	1308
	9	भिकियासैण	777
	10	ताड़ीखेत	1324
	11	चौखुटिया	1134
		योगः–	**13629**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	2313
	2	गरूड़	1559
	3	बागेश्वर	2036
		योगः–	**5908**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	1251
	2	जोशीमठ	3220
	3	दशोली	1193
	4	घाट	1210
	5	पोखरी	1083
	6	गैरसैण	1520
	7	थराली	1005
	8	देवाल	987
	9	नारायणबगड़	1109
		योगः–	**12578**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	950
	2	बाराकोट	887
	3	पाटी	1365
	4	चम्पावत	1914
		योगः–	**5116**
5–देहरादून	1	डोईवाला	1685
	2	रायपुर	503
	3	सहसपुर	1956
	4	विकासनगर	2423
	5	चकराता	1263
	6	कालसी	1102
		योगः–	**8932**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	3107
	2	खानपुर	870
	3	रूड़की	2459

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 03/01/2024 10:21 AM

I/179004/2024

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*4*
	4	नारसन	3078
	5	लक्सर	2535
	6	बहादराबाद	4606
		योगः–	**16655**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्ड़ा	998
	2	भीमताल	756
	3	बेतालघाट	706
	4	हल्द्वानी	1485
	5	रामनगर	1397
	6	रामगढ़	874
	7	कोटाबाग	1033
	8	धारी	539
		योगः–	**7788**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	1126
	2	द्वारीखाल	833
	3	दुगड्डा	516
	4	एकेश्वर	627
	5	जयहरीखाल	588
	6	कल्जीखाल	810
	7	खिर्सू	764
	8	कोट	900
	9	नैनीडांडा	917
	10	रिखणीखाल	820
	11	थलीसैण	1331
	12	यमकेश्वर	1066
	13	पौड़ी	868
	14	पाबो	980
	15	पोखड़ा	791
		योगः–	**12937**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	1760
	2	मुनाकोट	1458
	3	कनालीछीना	1434
	4	धारचूला	1589
	5	पिथौरागढ़	1550
	6	डीडीहाट	1254
	7	मुनस्यारी	1679
	8	बेरीनाग	1363
		योगः–	**12087**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	2201
	2	जखोली	1717
	3	ऊखीमठ	1305
		योगः–	**5223**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	1054
	2	कीर्तिनगर	1194
	3	चम्बा	1027
	4	देवप्रयाग	1076

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 03/01/2024 10:21 AM

I/179004/2024

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*4*
	5	भिलंगना	1972
	6	थौलधार	1119
	7	जौनपुर	1452
	8	प्रतापनगर	1308
	9	जाखणीधार	1166
		योगः–	**11368**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	2607
	2	सितारगंज	2678
	3	रूद्रपुर	1625
	4	गदरपुर	1963
	5	बाजपुर	2064
	6	काशीपुर	1257
	7	जसपुर	1873
		योगः–	**14067**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	1365
	2	डुण्डा	1307
	3	चिन्यालीसौड़	1066
	4	नौगाँव	1495
	5	पुरोला	803
	6	मोरी	1176
			7212
		योगः–	**133500**

(₹ तेरह करोड़ पैंतीस लाख मात्र)

Signed by C Ravi Shankar
Date: 01-01-2024 19:09:48

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 03/01/2024 10:21 AM

I/179006/2024

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध (Tied Grant) अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरित धनराशि का क्षेत्र पंचायतवार विवरण।

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*5*
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	10128
	2	ताकुला	9257
	3	धौलादेवी	12515
	4	भैंसियाछाना	5626
	5	हवलबाग	13667
	6	लमगड़ा	11240
	7	द्वाराहाट	12773
	8	सल्ट	12031
	9	भिक्यिासैण	7981
	10	ताड़ीखेत	11633
	11	चौखुटियाँ	9836
		योगः–	**116687**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	17071
	2	गरूड़	12754
	3	बागेश्वर	21093
		योगः–	**50918**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	10731
	2	जोशीमठ	8620
	3	दशोली	7935
	4	घाट	7673
	5	पोखरी	8229
	6	गैरसैण	12004
	7	थराली	6040
	8	देवाल	5437
	9	नारायणबगड़	8991
		योग–	**75660**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	6789
	2	बाराकोट	5438
	3	पाटी	10040
	4	चम्पावत	13913
		योग–	**36180**
5–देहरादून	1	डोईवाला	11244
	2	रायपुर	3495
	3	सहसपुर	12814
	4	विकासनगर[1]	15549

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 03/01/2024 10:19 AM

I/179006/2024

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*5*
	5	चकराता	10573
	6	कालसी	9734
		योग–	**63409**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	20639
	2	खानपुर	5756
	3	रूड़की	16692
	4	नारसन	20692
	5	लक्सर	15836
	6	बहादराबाद	30653
		योग–	**110268**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	7454
	2	भीमताल	5867
	3	बेतालघाट	5714
	4	हल्द्वानी	10170
	5	रामनगर	9275
	6	रामगढ़	6155
	7	कोटाबाग	7329
	8	धारी	4001
		योग–	**55965**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	9662
	2	द्वारीखाल	7276
	3	दुग्गड्डा	4701
	4	एकेश्वर	6496
	5	जयहरीखाल	5263
	6	कल्जीखाल	7321
	7	खिर्सू	5104
	8	कोट	7078
	9	नैनीडांडा	7717
	10	रिखणीखाल	6921
	11	थलीसैण	10836
	12	यमकेश्वर	8338
	13	पौड़ी	6372
	14	पाबो	7359
	15	पोखड़ा	5877
		योग–	**106321**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	14767
	2	मुनाकोट	10407
	3	कनालीछीना	11359
	4	धारचूला	10555
	5	पिथौरागढ़ (विण)	11601
	6	डीडीहाट	8899

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 03/01/2024 10:19 AM

I/179006/2024

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में आबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*5*
	7	मुनस्यारी	13261
	8	बेरीनाग	10209
		योग–	**91058**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	20195
	2	जखोली	14014
	3	ऊखीमठ	9070
		योग–	**43279**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	8856
	2	कीर्तिनगर	10203
	3	चम्बा	9027
	4	देवप्रयाग	8983
	5	भिलंगना	19358
	6	थौलधार	9375
	7	जौनपुर	12777
	8	प्रतापनगर	10888
	9	जाखणीधार	9832
		योग–	**99299**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	16883
	2	सितारगंज	17645
	3	रूद्रपुर	10624
	4	गदरपुर	13202
	5	बाजपुर	13779
	6	काशीपुर	8414
	7	जसपुर	12607
		योग–	**93154**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	10634
	2	डुण्डा	10974
	3	चिन्यालीसैण	8563
	4	नौगाँव	13743
	5	पुरोला	4850
	6	मोरी	8358
		योग–	**57122**
		महायोग :–	**999320**

(₹निरानब्बे करोड़ तिरानब्बे लाख बीस हजार मात्र)

Signed by C Ravi Shankar
Date: 01-01-2024 19:10:10
(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 03/01/2024 10:19 AM